## बीआईएस मुख्या/प्रशा/परिपत्र(02)/2020

दिनांक: 13 जनवरी 2020

## भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन विभाग) परिपत्र

विषय: कार्यालयीन उपस्थिति में समय-पालना के संबंध में।

यह ब्यूरो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लचीले समय के बारे में प्रशासन विभाग के दिनांक 20 जून 2018 के परिपत्र संख्या बीआईएस/मुख्या./प्रशासन परिपत्र(09)/2018 के संदर्भ में है।

- 2. इस मुद्दे की समीक्षा करते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने कुछ कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में समय का पालन न करने को गंभीरता से लिया है। सक्षम प्राधिकारी ने तत्काल प्रभाव से लचीले समय के प्रावधान को बंद करने का निर्णय लिया है।
- 3. मुख्यालय, आरओ/बीओ, प्रयोगशालाओं और निट्स के सभी गतिविधि प्रमुख, विभाग प्रमुख, यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारी 0900 बजे से 1730 बजे के कार्यालय समय का पालन करें।
- 4. उपर्युक्त का कड़ाई से पालन करें।
- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी।

(विनोद कुमार)

Party stour

निदेशक(प्रशासन)

हमारा संदर्भ: प्रशा./06/02/2014

मुख्यालय, आरओ/बीओ, प्रयोगशालाओं और निट्स इत्यादि गतिविधि प्रमुख, विभाग प्रमुखों, के लिए बीआईएस के इंट्रानेट के माध्यम से परिचालित।

Date: 13 January 2020

## BUREAU OF INDIAN STANDARDS (Administration Department)

## CIRCULAR

Subject: Observance of punctuality in attending the Office - regarding

This is with reference to Administration Department's Circular No. BIS/HQ/ADMN/Circular(09)/2018 dated 20 June 2018 regarding staggered timing for the officials of the Bureau.

- 2. While reviewing the issue, the Competent Authority has taken a serious note of non-observance of office timing by some of the employees. Competent Authority has also decided to discontinue the provision of staggered timing in the Bureau with immediate effect.
- 3. All Activity Heads, Head of departments at HQ, ROs/BOs, Labs and NITS may, therefore, ensure that the officials working under them adhere to the office timing of 0900h to 1730h.
- 4. Strict compliance of the above be ensured.
- 5. This issues with the approval of Competent Authority.

(Vinod Kumar)

Director (Administration)

Our Ref: ADMN/06/02/2014

Circulated to: All Activity Heads, Head of departments at Hqs/ROs/BOs/Labs/NITS etc. through BIS Intranet